अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 650(अ). – केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 266क और धारा 266ख के अधीन, निदेशक पहचान संख्या आबंटन के संबंध में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों और कृत्यों को प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के कार्यालय में तैनात प्रादेशिक निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक को प्रत्यायोजित करती है।

[फा. सं. 1/4/2006/सीएल-V] जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2006

G.S.R. 650(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (b) of sub-section (1) of section 637 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby delegates the powers and functions of the Central Government in respect of allotment of Director Identification Number under sections 266A, and 266B of the Act to the Regional Director, Joint Director, Deputy Director or Assistant Director posted in the office of Regional Director, Northern Region.

[F. No. 1/4/2006/CL-V] JITESH KHOSLA, Jt. Secy.